PBR/पुनर्विलोकन/मन्दसौर/ब-21/2017/1944

न्यायालय समआदरणीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /पुर्नविलोकन 2016-17

मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल जी मंसूरी, जाति पिंजारा
उम्र लगभग 66 वर्ष, व्यवसाय कृषि एवं पेंशनर
निवासी शामगढ तहसील शामगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)
..........आवेदक

श्री मो. हुसैन द्वारा स्वयं उपस्थित प्रस्तुत 23-6-17

विरूद्ध

देऊबाई पति केशुराव जाति मराठा (मृत) द्वारा वारिसान

1. ताराबाई पिता श्री केशुराव पत्नी श्री रमेश राव
जाति मराठा उम्र लगभग 58 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य आदि
निवासी-अस्तर मंदिर गली, वार्ड क्र. 3 शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)

2. कैलाशराव पिता श्री केशुराव जाति मराठा उम्र लगभग 55
वर्ष, व्यवसाय नौकरी (खलासी) से पेन्शनर
निवासी-रेल्वे कालोनी के पास, शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)

3. उषाबाई पिता श्री केशुराव पत्नि श्री भगवतीराव जाति मराठा,
उम्र लगभग 56 वर्ष, पूर्व निवासी- मगरमुहा गली उज्जैन
हा. मुकाम - शामगढ़, अस्तर मंदिर गली, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

4. जगदीश उर्फ पप्पू पिता श्री केशुराव
जाति मराठा उम्र लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी
निवासी-अस्तर मंदिर गली, वार्ड क्र. 3 शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)
..........अनावेदकगण

21-7-17 मो. हुसैन

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर के प्रकरण क्र. निगरानी 3041-तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 17.12.15 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उक्त पुर्नविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व गरोठ समक्ष श्री भंडारी जी न्यायालय में अपील क्र. 16/14-15 में दिनांक 13.04.15 को पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर श्रीमान के न्यायालय में एक पुर्ननिरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. का 26.08.15 को प्रस्तुत किया जो

हस्ता.- मोहम्मद हुसैन निरंतर 02

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन/मन्दसौर/भू.रा./2017/1944

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–8–2017	आवेदक के के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17–2–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	